

गौरीधर बनाम विधानरत्न

दिनांक 6/20/22

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अदालत जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुई

25/22

प्रभावली अड्डा / बहुलाप फरीदे न उर्फ
 फावली का कवलोकन दिवागण/उरुण
 से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार
 से हैं कि वादीगण ने चाद अन्तर्गत धरा
 00 RTA व धारा 136 LRA के अन्तर्गत
 घोषणा एवं रिवाइ इन्फोर्मी धारक घेरा
 किया कि ऐसी मोजा काउन्ट तदुसीत
 व्यक्त करने का के खन्ना 71 की धारा 42
 की धारा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की
 संयुक्त द्यातेदारी द्वारा जारी हैं जो एग्जिस्ट
 नरे दुखित पुत्र लघनाथ निरु रागधर सा
 काउन्ट से जारी एग्जिस्ट कां. नं. 9.3.87
 से तद्विध धारा हैं जो राजस्व रिवाइ के
 अन्तर्गत संख्या 735 डाटा वादीगण एवं
 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिवाइ इन्फो
 रणा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. के अन्तर्गत
 कल्या प्राप्त में लिखित हैं। तद्विध व
 समस्त वादीगण की मांग अनुसार ही हयात
 लघनाथ रकबीदारी के प्रयोग, अपादिगत प्रचार
 व अपादिगत उपस्थित काव्यधन नहीं होने
 के कारण से वादीगण का कजलेखाल की
 जगह कजलेखाल, गन्दापाल जी जगह गन्दा
 व भोगिधराम की जगह शराराम दर्ज होना
 जबकि वादीगण का लघनाथ बस्ताकेज धरा
 पहचान का, माधव कार्ड, यमनबाई इन्फोर्मी
 के मात कजलेखाल, गन्दापाल व भोगिधर
 सम हैं। किन्तु वादीगण के काउ की इन्फोर्मी
 की घोषणा फावली जादा रिवाइ इन्फोर्मी
 धाराके।



चाद दर्ज एग्जिस्ट का प्रतिवादी गण
 को समन जारी किया गया

उपखण्ड अधिकारी
 लुनकरगढ़

गौरीगढ़ बस स्टेशन दिल्ली

दि. 01/02/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p> प्रतिकारी संख्या 1 की कोर्ट से श्री गौरीगढ़ सिपाय काफिलेदार ने उपस्थित होने से अलग जमाना दायर किया तथा प्रतिकारी संख्या 2 के कोर्ट काफिलेदार ने कोर्ट में प्रार्थना की कि कोर्ट से श्री गौरीगढ़ सिपाय का कोर्ट का 2 के समर्थन में प्रार्थना 3 के प्रस्तावों को भी धुकी फेर भी व शपथ का कोर्ट को जमाना व प्रतिकारी संख्या 1 काफिलेदार को दिया। उक्त काल में जमाना दायर फेर, होने से लगे समय काफिलेदार भी भी जाकर उक्त फेर की वृद्ध सुनी गयी। वृद्ध के दोस्त कमील गौरीगढ़ ने कोर्ट का 2 के फेर भी उक्त सुनी बताने हुए काफिलेदार की घोषणा का सुनने पर आदेश/प्रतिकारी जमाना काफिलेदार का वृद्ध गौरीगढ़ प्रतिकारी संख्या 1 </p> <p> हमने कोर्ट के उपस्थित प्रस्तावों का सुनने काफिलेदार को प्रतिकारी संख्या 1 की कोर्ट में जमाना दायर 1/02/2022 71 की 42 की कोर्ट से प्रस्तावों को सुनी सुनी भी है जिसका जमाना दायर 1/02/2022 प्रस्ताव है। प्रतिकारी संख्या 1 का काफिलेदार प्रस्तावों के प्रतिकारी संख्या 1 का काफिलेदार संख्या 2 का कोर्ट काफिलेदार व प्रतिकारी संख्या 3 का कोर्ट काफिलेदार है। प्रतिकारी संख्या 1 - 2 काफिलेदार, कोर्ट काफिलेदार व प्रतिकारी संख्या 1 काफिलेदार को कोर्ट काफिलेदार पर कोर्ट के स्थान पर कोर्ट काफिलेदार कोर्ट काफिलेदार के स्थान पर कोर्ट काफिलेदार व प्रतिकारी संख्या 1 काफिलेदार कोर्ट काफिलेदार की घोषणा की जाती है। </p>		




उपखण्ड अधिकारी
 लुनकरनगर

तारीख
हुकम

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुकम
हुकम की तारीख
में जारी हुए

सूचना दी कटेशन क्रमांक २०१८ की
के तहत सेक्शन १७२ के अन्तर्गत १९५५ गणराज्य
१०.६२ हेक्टर पर गरीब-कालीगज के नाम
गुराराम के स्थान पर आगतिधर, कान्हा
राम के स्थान पर बजराय लाल व लालच
के स्थान पर लाललाल सिंह गणेश राम दुबल
कोने से कटिंग उदान सिपे जते हैं। तदुपर
का एक बान्सा वाडका रिपोर्ट दुबल
कोने पर दिखी जाती है। कगवती
निर्णय में सुना होकर दृश्य जानता दायरे
दफता हो।

निर्णय आज दिनांक २५/५/२२ को कटेबा
पिटवाया जाकर खेले न्यायालय में सुनाया
गया।


उपखण्ड अधिकारी
कान्हागसर

